फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

चिरंजी बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र अ0धा0 136 एल.आर.ए. मु0नं0–50/2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2760, 2763, 2766, 2772, 2775, 2779, 2780, 2901, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909 वाके रामा गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम भौरया दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम भौरीलाल है। इसलिए उक्तानुसार शुद्धि की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सिकराय से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार सिकराय ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि शुद्धि किया जाना उचित है। प्रकरण में पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम भौरया के स्थान पर भौरीलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार शुद्धि करें। पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	